समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0•

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक ----/ अ- 12 / 13- 14   R - 220 - I/14

पुनरीक्षणकर्ता : भाउराव पिता तानबाजी बंसोड उम्र लगभग 67 वर्ष निवासी- प्लाट नं, 6 गनेश नगर ग्रेट नाग रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)

विरुद्ध

अनावेदक गैर पुनरीक्षणकर्ता : 1• म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर छिंदवाडा
2• कमला बाई पति दौलत जाति गूजर, निवासी ग्राम सरोरा तहसील मोहखेड, जिला छिंदवाडा म0प्र0 ।

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959•

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, छिंदवाडा द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 18•7•13 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत करता है कि :--

|| तथ्य ||

1• यह कि, आवेदक/ पुनरीक्षणकर्ता नागपुर (महाराष्ट्र) का होकर स्थायी निवासी है। पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके दो पुत्र प्रतीक एवं सौरभ के नाम से शामिल सरीक ग्राम खापा तहसील सौंसर जिला छिंदवाडा स्थित भूमि ख•नं• 113 रकबा 0•841 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ।

2• यह कि, पुनरीक्षणकर्ता एक वृद्ध व्यक्ति है, तथा नागपुर महाराष्ट्र में शासकीय सेवक तथा वही पर स्थायी रूप से निवास कर रहा है । पुनरीक्षणकर्ता द्वारा तहसीलदार सौंसर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर उक्त प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने का निवेदन किया गया, जिस आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ-12/ 2011- 12 पक्षकार भाउराव विरुद्ध शासन दर्ज कर विधिवत पडोसी कृषकों को सूचना दी गई तथा विधिवत सीमांकन दिनांक

XX!X(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-220-एक/14 **जिला** - छिंदवाड़ा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.05.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u>**	